भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

खुला बाजार बिक्री योजना

1616. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कई राज्यों को खुला बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी) से बाहर कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य-वार वितरित किए जाने वाले भोजन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्यों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक खरीद पद्धतियां है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): खुला बाजार बिक्री योजना-घरेलू ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2024 तक, खुले बाज़ार में रिलीज़ करने के लिए 101.5 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया है ताकि आपूर्ति में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके। अभी तक भारतीय खाद्य निगम ने देशभर में साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) और रियायती विनिर्देशों के अनुरूप (यूआरएस) श्रेणी के गेहूं के लिए क्रमश: 2150/- रुपए प्रति क्विंटल और 2125/- रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर 44.65 लाख टन गेहूं को रिलीज़ किया है।

.....2/-

इसमें से, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार जैसे अर्ध-सरकारी और सहकारी संगठनों को 21.50/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से अब तक 4 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है ताकि उसे आटे के रूप में परिवर्तित किया जा सके और आम उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए 'भारत आटा' के नाम से उस अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जा सके जो 27.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक न हो। खुले बाज़ार में इन हस्तक्षेपों से खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और मूल्यों में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत, दिनांक 1 जनवरी, 2023 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2024 से अगले 5 वर्षों तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को 11.79 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखा जाएगा। देश के ~140 करोड़ नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का निर्णय लिया है, इसलिए केवल राज्यों के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के तहत गेहूं और चावल की बिक्री को दिनांक 13.06.2023 से बंद कर दिया गया है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्यों में ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री जारी रहेगी।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2011-12) के 68वें चरण, तेंदुलकर गरीबी अनुमान (2011-2012) और वर्ष 2011 के जनगणना डाटा के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को कवर करते हुए लगभग 81.35 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल 607.1 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

(घ): अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषिगत फसल पैटर्न के आधार पर, प्रत्येक विपणन मौसम की शरुआत से पूर्व, राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार द्वारा धान (चावल के रूप में), गेहूं और मोटे अनाज की खरीद के अनुमान को अंतिम रूप दिया जाता है।

किसी राज्य में खरीद केवल उत्पादन पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि विपणन योग्य अधिशेष, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मौजूदा बाजार दर, मांग और आपूर्ति आदि जैसे अन्य कई कारकों पर भी निर्भर करती है।

****